

कार्यालय-प्राचार्य इंदिरा गांधी शासकीय महाविद्यालय पण्डरिया

विकासखंड-पण्डरिया, जिला-कबीरधाम (छ.ग.) महाविद्यालय कोड-2003

Email - pandariacollege@gmail.com, Website- igcollegepandariya.com

क्रमांक 673 / स्था. / 2020-21

पण्डरिया, दिनांक 04/03/2021

अतिथि व्याख्याता अध्यापन हेतु विज्ञापन

आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर अटल नगर, के पत्र क्रमांक-339/नि.स. /आउशि/2021, दिनांक 23.02.2021 के परिपालन में शैक्षणिक सत्र 2020-21 एवं समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित विषयों में प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक के रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि व्याख्याता अध्यापन कार्य हेतु आवेदन पत्र दिनांक 10/03/2021 तक कार्यालयीन समय 05:30 बजे तक डाक द्वारा या स्वयं उपस्थित होकर महाविद्यालय में जमा किए जा सकते हैं, उसके पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

रिक्त पदों का विवरण

| क्र. | विषय | रिक्त पद |
|------|-----------------|----------|
| 1 | हिन्दी | 02 |
| 2 | वनस्पति शास्त्र | 01 |
| 3 | रसायन शास्त्र | 01 |
| 4 | अर्थ शास्त्र | 01 |

यह व्यवस्था निम्न शर्तों के अधीन होगी :-

- उपरोक्त पद हेतु शैक्षणिक योग्यता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर एवं आयुक्त उच्च शिक्षा रायपुर के आदेश अनुसार निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप प्रवीण्यता के आधार पर अभ्यर्थियों को रिक्त पदों के अनुसार अध्यापन हेतु बुलाया जा सकेगा। मानदेय राशि 200 रु प्रति व्याख्यान (45 मिनट) देय होगा। प्रतिदिन अधिकतम 800.00 तथा प्रतिमाह अधिकतम 20800/- रु. देय होगा।
- अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालय स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे।
- पदों की संख्या आवश्यकतानुसार अधिक एवं कम की जा सकती है।
- चयनित उम्मीदवार के विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण लंबित न हो तथा शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवक न हो इस बाबत कार्यभार ग्रहण करते समय शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- आवेदक अपना मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल आईडी स्पष्ट रूप से लिखे एवं लिफाफा के उपर पदनाम एवं विषय अनिवार्य रूप से लिखे।

प्राचार्य
Principal

इंदिरा गांधी शासकीय महाविद्यालय
पण्डरिया, जिला-कबीरधाम (छ.ग.)

पण्डरिया, दिनांक 04/03/2021

पृ. क्रमांक 674 / स्था. / 2020-21

प्रतिलिपि :-

- आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
- कुलसचिव, हेमचंद्र यादव, विश्वविद्यालय, दुर्ग को सादर सूचनार्थ।
- कलेक्टर, कवर्धा, जिला-कबीरधाम (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
- अग्रणी महाविद्यालय, शासकीय स्नातकोत्तर महावि. कवर्धा को सादर सूचनार्थ।
- महाविद्यालय सूचना पटल, पर चरप्पा हेतु।

प्राचार्य
Principal

इंदिरा गांधी शासकीय महाविद्यालय
पण्डरिया, जिला-कबीरधाम (छ.ग.)

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा
ब्लॉक सी-3 द्वितीय एवं तृतीय मंजिल, इन्द्रावती भवन,
नया रायपुर (छ.ग.)

—00—

क्रमांक/
प्रति,

864/243/आउशि/अतिथि व्याख्याता/2018

नया रायपुर, दिनांक 24/07/2018

प्राचार्य,
समस्त शासकीय महाविद्यालय
छत्तीसगढ़ ।

विषय :-

शैक्षणिक सत्र 2018-19 में शासकीय महाविद्यालयों में रिक्त प्राध्यापक/ सहायक प्राध्यापक के पदों पर अतिथि व्याख्याताओं की व्यवस्था ।

संदर्भ :-

अवर सचिव छ.ग.शासन उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक एफ 4-2/2013/38-1 रायपुर, दिनांक 13.07.2018

—00—

उपर्युक्त संदर्भित विषयान्तर्गत, उच्च शिक्षा विभाग के विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 24.07.2012, 16.7.2013, 03.07.2014, 14.07.2015, 30.05.2016, 20.12.2016, 01.07.2017 द्वारा शासकीय महाविद्यालयों में अतिथि व्याख्याताओं से अध्यापन व्यवस्था करने संबंधी जारी निर्देशानुसार राज्य शासन द्वारा शैक्षणिक सत्र 2018-19 में शासकीय महाविद्यालयों में प्राध्यापक/ सहायक प्राध्यापक के रिक्त पदों के विरुद्ध पूर्व स्वीकृत मापदण्डों एवं दरों पर अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति करने सहमति प्रदान की गई है।

कृपया पूर्व में जारी दिशा निर्देशानुसार शैक्षणिक सत्र 2018-19 के लिए भी अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति की कार्यवाही पूर्ण करना सुनिश्चित करें, ताकि अध्यापन व्यवस्था सुचारु रूप से संपादित किया जा सके। अतिथि व्याख्याता नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया पूर्णकर नियुक्ति किये गये अतिथि व्याख्याताओं का नाम, विषय एवं कार्यभार ग्रहण करने की जानकारी अद्योस्ताक्षरकर्त्ता को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायें।

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

(डॉ. किरण गजपाल)

संयुक्त संचालक

उच्च शिक्षा संचालनालय नया रायपुर(छ.ग.)

नया रायपुर, दिनांक /07/2018

पृ० क्रमांक/
प्रतिलिपि :-

/ /आउशि/अतिथि व्याख्याता/2018

1. अवर सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग महानदी भवन मंत्रालय, नया रायपुर को संदर्भित पत्र के संबंध में सूचनार्थ प्रेषित ।
2. निज सहायक, आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, नया रायपुर ।
3. प्राचार्य, समस्त अग्रणी महाविद्यालय छ.ग. ।

संयुक्त संचालक

उच्च शिक्षा संचालनालय नया रायपुर(छ.ग.)

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभा
मंत्रालय,
महानदी भवन, नया रायपुर

2018-22-4548
D.2./JU/DP
Section 8.1.4.14
Date 13 JUL 2018 C.H.E.

क्रमांक एफ 4-2/2013/38-1

नया रायपुर, दिनांक 13/07/2018

प्रति,

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इन्द्रवती भवन, नया रायपुर

विषय :- शैक्षणिक सत्र 2018-19 में शासकीय महाविद्यालयों में रिक्त प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक के पदों पर अतिथि व्याख्याताओं की व्यवस्था।

विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 24.07.2012, 16.07.2013, 03.07.2014, 14.07.2015, 30.5.2016, 20.12.2016 एवं 01.07.2017 द्वारा शासकीय महाविद्यालयों में अतिथि व्याख्याताओं की अध्यापन व्यवस्था करने संबंधी निर्देश जारी किये गये थे।

2- राज्य शासन, एतद्वारा, शैक्षणिक सत्र 2018-19 में शासकीय महाविद्यालयों में प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक के रिक्त पदों के विरुद्ध पूर्व स्वीकृत मापदण्डों एवं दरों पर अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति करने की सहमति प्रदान की जाती है।

3- यह स्वीकृति वित्त विभाग के कम्प्यूटर क्रमांक एफ 2018-38-01399/बी-3/वित्त दिनांक 07.07.2018 द्वारा सहमति प्राप्त किया गया है।

(दुर्गा देवांगन)
अवर सचिव

छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग
नया रायपुर, दिनांक 1 / 07 / 2018

पृ. क्रमांक एफ 4-2/2013/38-1

प्रतिलिपि:-

1. मान.राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. माननीय मुख्यमंत्रीजी के प्रमुख सचिव, छ.ग.शासन, मंत्रालय, नया रायपुर
3. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर
4. मुख्य सचिव के उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय मंत्रालय, नया रायपुर
5. निज सचिव, सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
6. सचिव, छ.ग.शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर की ओर कम्प्यूटर क्रमांक एफ 2018-38-01399/बी-3/वित्त दिनांक 07.07.2018 के संदर्भ में सूचनार्थ।
7. महालेखाकार, छ.ग.रायपुर
8. समस्त कलेक्टर.....छ.ग.
9. क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा, बिलासपुर/अंबिकापुर/जगदलपुर/रायपुर/दुर्ग (छ.ग.)
10. समस्त प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय.....
11. समस्त जिला कोषालय अधिकारी.....
12. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
आदेश फोल्डर

अवर सचिव

कार्यालय-प्राचार्य, इंदिरा गांधी शासकीय महाविद्यालय पण्डरिया
जिला-कबीरधाम (छ0ग0)

website - igcollegepandariya.com, Email - pandariacollege@gamai.com

क्रमांक 415 / स्था./ अतिथि व्या./ 2019

पण्डरिया, दिनांक 09/10/2019

प्रति,

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय
ब्लॉक-सी-03 द्वितीय एवं तृतीय मंजिल
इंद्रावती भवन नया रायपुर (छ.ग.)

विषय :- शैक्षणिक सत्र 2019-20 अतिथि व्याख्याताओं की जानकारी का प्रेषण।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक 1446/243/आउशि/अ.व्या./2019 नया रायपुर अटल नगर,
दिनांक 31/08/2019


000

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के तारतम्य में लेख है कि महाविद्यालय में रिक्त प्राध्यापक/सहा. प्राध्यापक के विरुद्ध अतिथि व्याख्याताओं की व्यवस्था अध्यापन कार्य के लिए कर लिया गया है। कार्यभार ग्रहण की तिथि एवं विषयवार जानकारी निम्नानुसार आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

| क्रमांक | अतिथि व्याख्याता का नाम | पदनाम | कार्यभार ग्रहण का दिनांक |
|---------|---------------------------|-----------------|--------------------------|
| 1 | श्री पंकज मारकण्डेय | भूगोल | 03.09.2019 |
| 2 | श्री शरद चंद्रवंशी | अंग्रेजी | 03.09.2019 |
| 3 | कु. लवीना ठाकुर | रसायनशास्त्र | 04.09.2019 |
| 4 | कु. सोनल चंद्रवंशी | वनस्पति विज्ञान | 04.09.2019 |
| 5 | कु. भूमिजा चंद्राकर | गणित | 04.09.2019 |
| 6 | श्रीमती जया शर्मा | हिन्दी (पीजी) | 04.09.2019 |
| 7 | श्रीमती माधुरीरत्न भास्कर | जन्तुविज्ञान | 04.09.2019 |
| 8 | कु. सुमन साहू | भौतिक | 05.09.2019 |
| 9 | श्रीमती पिंकी वैष्णव | हिन्दी | 17.09.2019 |
| 10 | कु. मधु देवांगन | अर्थशास्त्र | 18.09.2019 |

P.T.O. 24


| | | | |
|----|-------------------------|-----------------|------------|
| 1 | श्री विक्की सिन्हा | वाणिज्य | 18.09.2019 |
| 12 | श्री सत्यम कुमार डौन्डे | जन्तुविज्ञान | 18.09.2019 |
| 13 | श्री दीपक सोनी | वनस्पति विज्ञान | 18.09.2019 |
| 14 | श्रीमती चॉदनी सोलंकी | रसायनशास्त्र | 20.09.2019 |


 (डॉ. ए. सी. वर्मा)
 प्रभारी प्राचार्य
 इंदिरा गांधी शासकीय महाविद्यालय
 पण्डरिया, जिला-कबीरघाम (छ.ग.)

पृ. क्रमांक 416 / स्था./ अतिथि व्या./ 2019
 प्रतिलिपि

पण्डरिया, दिनांक 09/10/2019

- 1 अवर सचिव, छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नवा रायपुर को सूचनार्थ।
- 2 क्षेत्रिय अपर संचालयक उच्च शिक्षा दुर्ग छ.ग. को सूचनार्थ।
- 3 प्राचार्य, अग्रणी महाविद्यालय, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कवर्धा को सूचनार्थ।
- 4 स्था./लेखा शाखा शासकीय महाविद्यालय पण्डरिया को अ.का. सूचनार्थ।
- 5 कार्यालयीन फोल्डर।


 (डॉ. ए. सी. वर्मा)
 प्रभारी प्राचार्य
 इंदिरा गांधी शासकीय महाविद्यालय
 पण्डरिया, जिला-कबीरघाम (छ.ग.)

B/c



क्रमांक 139 / 772 / 2020 / 38-1
प्रति.

नया रायपुर अटल नगर, दिनांक 02.05.2020

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इंद्रावती भवन,
नया रायपुर, अटलनगर।

विषय :- अतिथि व्याख्याता की व्यवस्था करते हुए पाठ्यक्रम पूर्ण कराने की स्वीकृति।
संदर्भ :- आपकी टीप क्रमांक 98/आउशि, दिनांक 20.04.2020,

विषयान्तर्गत संदर्भित टीप का अवलोकन करें। कोरोना संक्रमण के कारण दिनांक 13.03.2020 से राज्य में महाविद्यालयों का संचालन बंद होने से अध्यापन कार्य भी बंद हो गया है। संचालनालय, उच्च शिक्षा से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश के सभी महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर के द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर का पाठ्यक्रम अपूर्ण है तथा एक आंतरिक मूल्यांकन तथा असेसमेंट होना शेष है।

2/ अतः उपर्युक्त कार्य अतिथि व्याख्याताओं के माध्यम से ऑनलाईन शिक्षण/वीडियो लेक्चर के माध्यम से पूर्ण कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3/ अतिथि व्याख्याताओं को उक्त प्रयोजन हेतु पूर्व में नियत शर्तों एवं सीमा के अधीन मानदेय दिया जाएगा। अतिथि व्याख्याताओं द्वारा प्रस्तुत वीडियो लेक्चर एवं ऑनलाईन क्लासेस का रिकार्ड संधारित करते हुए मानदेय भुगतान का दायित्व संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य का होगा।

(सरोज उईके)
अवर सचिव

छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग

नया रायपुर अटल नगर, दिनांक 02.05.2020

पू.क्रमांक 1392/772/2020/38-1

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, मुख्य मंत्री छत्तीसगढ़, मुख्य मंत्री सचिवालय,
2. माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी के विशेष सहायक
3. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय,
4. सचिव, उच्च शिक्षा के निज सचिव

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

लेखा शाखा

जात जाते के जे।

21.07.2020

अवर सचिव
छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा
ब्लॉक सी-3 द्वितीय एवं तृतीय मंजिल, इन्द्रावती भवन
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)



क्र.1446/243/आउशि/अ. व्या./2019

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 31.08.19

प्राचार्य
समस्त शासकीय महाविद्यालय
छत्तीसगढ़

- विषय :- शैक्षणिक सत्र 2019-20 में शासकीय महाविद्यालयों में रिक्त प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक के पदों पर अतिथि व्याख्याताओं की व्यवस्था।
संदर्भ :- अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्र. एफ 4-2/2013 /38-1 अटल नगर, रायपुर, दिनांक 31.08.2019

-- 0 --

विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 24.07.2012, 16.07.2013, 03.07.2014, 14.07.2015, 30.05.2016, 20.12.2016, 01.07.2017 एवं 13.07.2018 द्वारा शासकीय महाविद्यालयों में अतिथि व्याख्याताओं की अध्यापन व्यवस्था करने संबंधी निर्देश जारी किये गये थे।

2/ शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा शैक्षणिक सत्र 2019-20 में शासकीय महाविद्यालयों में प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक के रिक्त पदों के विरुद्ध पूर्व स्वीकृत मापदण्डों एवं दरों पर अतिथि व्याख्याताओं की व्यवस्था करने की सहमति इस शर्त पर प्रदान की गई है कि जिन महाविद्यालयों में विगत सत्रों में कार्यरत रह चुके अतिथि व्याख्याताओं के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा कोई निर्देश दिया गया है उन अतिथि व्याख्याताओं की व्यवस्था माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा दिये गये निर्देशों का परिपालन सुनिश्चित करते हुये न्यायालयीन निर्देशों के अध्यक्षीन की जाये।

3/ निर्देशानुसार शैक्षणिक सत्र 2019-20 के लिए भी अतिथि व्याख्याताओं की व्यवस्था हेतु कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा कार्यवाही उपरान्त पूर्ण जानकारी संचालनालय को भी उपलब्ध करायें।

(आ.पु. उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

अपर संचालक

उच्च शिक्षा संचालनालय
नवा रायपुर, अटल नगर

क्र.1447/243/आउशि/अ. व्या./2019

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 31.08.19

प्रतिलिपि :-

1. अवर सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ
2. समस्त कलेक्टर, जिला-.....(छ.ग.)
3. क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा, बिलासपुर/अंबिकापुर/जगदलपुर/रायपुर/दुर्ग(छ.ग.)
4. समस्त प्राचार्य अग्रणी महाविद्यालय (छ.ग.)।
5. समस्त जिला कोषालय अधिकारी.....ओर सूचनार्थ।

अपर संचालक

उच्च शिक्षा संचालनालय

3.8.2019.

क्रमांक एफ 4-2/2013/38-1

//2//

अटल नगर, रायपुर, दिनांक 31/08/2019

प्रतिलिपि :-


1. मान.राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. माननीय मुख्यमंत्रीजी के प्रमुख सचिव, छ.ग.शासन, मंत्रालय, नया रायपुर
3. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर
4. मुख्य सचिव के उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नवा रायपुर
5. निज सचिव, सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर
6. सचिव, छ.ग.शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर की ओर कम्प्यूटर क्रमांक एफ 2019-38-01661/बी-3/चार, दिनांक 31.08.2019 के संदर्भ में सूचनार्थ।
7. महालेखाकार, छ.ग.रायपुर
8. समस्त कलेक्टर, जिला-.....
9. क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा, बिलासपुर/अंबिकापुर/जगदलपुर/रायपुर/दुर्ग(छ.ग.)
10. समस्त प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय.....
11. समस्त जिला कोषालय अधिकारी.....
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. आदेश फोल्डर

अवर सचिव

छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग


अतिथि व्याख्याताओं के लिए आवश्यक सूचना

छ.ग. शासन आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय ब्लॉक सी-30 द्वितीय एवं तृतीय तल इन्द्रावती भवन नया रायपुर अटल नगर छ.ग. के पत्र क्र. 1446/243/आउशि/अ.व्या.22019 दिनांक 31.08.2019 के परिपालन में हमारे महाविद्यालय में सत्र 2018-19 में कार्यरत समस्त अतिथि व्याख्याताओं को सूचित किया जाता है कि जिन्होंने माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में याचिका प्रस्तुत कर दिशा निर्देश प्राप्त किया हो, वह महाविद्यालय में उपस्थित हो कर पुनः अध्यापन व्यवस्था हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करें।


प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय पण्डरिया,
जिला-कबीरधाम (छ.ग.)

24.07.2012, 16.7.2013, 03.07.2014, 14.07.2015, 30.05.2016, 20.12.2016, 01.07.2017 द्वारा शासकीय में अतिथि व्याख्याताओं से अध्यापन व्यवस्था करने संबंधी जारी निर्देशानुसार राज्य शासन द्वारा सत्र 2018-19 में शासकीय महाविद्यालयों में प्राध्यापक/ सहायक प्राध्यापक के रिक्त पदों के विरुद्ध पूर्व स्वीकृत एवं दसों पर अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति करने सहमति प्रदान की गई है।


कृपया पूर्व में जारी दिशा निर्देशानुसार शैक्षणिक सत्र 2018-19 के लिए व्याख्याताओं की नियुक्ति की कार्यवाही पूर्ण करना सुनिश्चित करें, ताकि अध्यापन व्यवस्था सुचारु रूप से चलाया जा सके। अतिथि व्याख्याता नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया पूर्णकर नियुक्ति किये गये अतिथि व्याख्याताओं के विषय एवं कार्यभार ग्रहण करने की जानकारी अद्योस्ताक्षरकर्त्ता को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायें।
(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)


(डॉ. किरण गजपाल)
संयुक्त संचालक

उच्च शिक्षा संचालनालय नया रायपुर,
नया रायपुर, दिनांक /0

पृ0 कमाक /
प्रतिलिपि :- / /आउशि/अतिथि व्याख्याता/2018

1. अवर सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग महानदी भवन मंत्रालय, नया रायपुर को के संबंध में सूचनार्थ प्रेषित।
2. निज सहायक, आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, नया रायपुर।
3. प्राचार्य, समस्त अग्रणी महाविद्यालय छ.ग.।


संयुक्त संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय नया रायपुर

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा
ब्लॉक सी-3 द्वितीय एवं तृतीय मंजिल, इन्द्रावती भवन,
नया रायपुर (छ.ग.)

---00---

क्रमांक/
प्रति,

864/243/आउशि/अतिथि व्याख्याता/2018

नया रायपुर, दिनांक 24/07/2018

प्राचार्य,
समस्त शासकीय महाविद्यालय
छत्तीसगढ़ ।

विषय :-

शैक्षणिक सत्र 2018-19 में शासकीय महाविद्यालयों में रिक्त प्राध्यापक/ सहायक प्राध्यापक के पदों पर अतिथि व्याख्याताओं की व्यवस्था ।

संदर्भ :-

अवर सचिव छ.ग.शासन उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक एफ 4-2/2013/38-1 रायपुर,
दिनांक 13.07.2018

---00---

उपर्युक्त संदर्भित विषयान्तर्गत, उच्च शिक्षा विभाग के विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 24.07.2012, 16.7.2013, 03.07.2014, 14.07.2015, 30.05.2016, 20.12.2016, 01.07.2017 द्वारा शासकीय महाविद्यालयों में अतिथि व्याख्याताओं से अध्यापन व्यवस्था करने संबंधी जारी निर्देशानुसार राज्य शासन द्वारा शैक्षणिक सत्र 2018-19 में शासकीय महाविद्यालयों में प्राध्यापक/ सहायक प्राध्यापक के रिक्त पदों के विरुद्ध पूर्व स्वीकृत मापदण्डों एवं दरों पर अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति करने सहमति प्रदान की गई है।

कृपया पूर्व में जारी दिशा निर्देशानुसार शैक्षणिक सत्र 2018-19 के लिए भी अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति की कार्यवाही पूर्ण करना सुनिश्चित करें, ताकि अध्यापन व्यवस्था सुचारु रूप से संपादित किया जा सके। अतिथि व्याख्याता नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया पूर्णकर नियुक्ति किये गये अतिथि व्याख्याताओं का नाम, विषय एवं कार्यभार ग्रहण करने की जानकारी अद्योस्ताक्षरकर्त्ता को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायें ।
(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

(डॉ. किरण गजपाल)

संयुक्त संचालक

उच्च शिक्षा संचालनालय नया रायपुर(छ.ग.)
नया रायपुर, दिनांक /07/2018

पृ० क्रमांक/
प्रतिलिपि :-

/ /आउशि/अतिथि व्याख्याता/2018

1. अवर सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग महानदी भवन मंत्रालय, नया रायपुर को संदर्भित पत्र के संबंध में सूचनार्थ प्रेषित ।
2. निज सहायक, आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, नया रायपुर ।
3. प्राचार्य, समस्त अग्रणी महाविद्यालय छ.ग. ।

संयुक्त संचालक

उच्च शिक्षा संचालनालय नया रायपुर(छ.ग.)